लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या / 82 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः–10.09.2020
GCMS NO:-2020/00319

श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत मु. पो. आंवलहेड़ा वाया बस्सी, तहसील चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 06.10.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 82 / 2020 / (06.10) / 595 दिनांक 11.09.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 06.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 06.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक / लोसूअ / 2020 / 804 दिनांक 22.09.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये कि जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी ने कमेंट्स प्रेषित किये कि तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बल्दरखां की आराजी नम्बर 219, 222, 532, 539, 543,

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

550, 556, 557, 558, 569, 560 एवं 566 किता 12 कुल रकबा 2.66 है. की मौके पर जांच की गई। सीमा जानकारी आवेदन में हुडी, जमनी, रूकमा पिता सोकिशन उक्त खातेदारों के हस्ताक्षर निशानी नहीं होना पाया गया साथ ही इनका कब्जा भी नहीं होना पाया गया। ऐसी स्थिति में जानकारी नहीं की गई। साथ ही उक्त खाता शामलाती होकर रिकॉर्ड अनुसार मौके पर काबिज नहीं होने से विवाद होने की संभावना की रिपोर्ट पेश की गई। उक्त सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सीमा जानकारी नहीं की गई एवं परचा मौका भी नहीं बनाया गया।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/लोसूअ/2020/804 दिनांक 22.09.2020 से प्रेषित कमेंट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा जिन दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है उसके माध्यम से उन दो बिन्दुओं की सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो चुकी है।

चूंकि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा, उसके द्वारा वांछित सूचना/प्रतिलिपियां जरिये ड़ाक द्वारा निः शुल्क उपलब्ध हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./82/2020(सू.अ.)/653

दिनांक 06/10/2020

प्रतिलिपिः-
1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत मु. पो. आंवलहेड़ा वाया बस्सी, तहसील चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official